

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-301551 /XXIV-A-1 / 2025-12983 / 2022

देहरादून: दिनांक 28 मई, 2025

कार्यकारी आदेश

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संस्थित रिट याचिका (सिविल) संख्या-132/2016 श्री रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-40/XXIV/(1)/2010-14/05, दिनांक 17.02.2010 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के आस्थगित (Abeyance) रखे गये कुल 3246 पदों में से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 380 पदों को पुनर्जीवित किये जाने की अनुमति शासनादेश संख्या-I/66375/2022, दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्रदान की गयी है।

चूंकि शासनादेश संख्या-66375/2022, दिनांक 27.09.2022 द्वारा सहायक अध्यापक के पुनर्जीवित किये गये 380 पदों में से प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग (कक्षा-1 से 5) हेतु 285 पदों पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित)' में वर्तमान में प्राविधान नहीं है, तथा उक्त सेवा नियमावली में यथावश्यक संशोधन में कुछ समय लगना अवश्यम्भावी है।

अतः सेवा नियमावली में संशोधन होने तक, पूर्व में निर्गत कार्यकारी आदेश संख्या-109430/2023, दिनांक 25 मार्च, 2023 में संशोधन करते हुये राज्यान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु इस कार्यकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित प्राविधान निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- भर्ती का स्रोत-** (1) शासनादेश संख्या-66375/2022, दिनांक 27.09.2022 द्वारा सहायक अध्यापक के पुनर्जीवित किये गये 380 पदों में से 285 पदों के सापेक्ष प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग (कक्षा-1 से 5) में सीधी भर्ती द्वारा।
- शैक्षिक अर्हतायें-** (1) विशेष शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताओं के अनुसार किया जायेगा।
- (2) 'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित नियमावली)' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्नातक योग्यता के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) द्वारा मान्यता प्राप्त डी0एड0 विशेष शिक्षा अथवा आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (3) चयन के उपरान्त नवनियुक्त विशेष शिक्षकों को दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 (छः) महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
- भर्ती की प्रक्रिया** (1) जनपद स्तर पर पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाशित की

जायेगी। प्रकाशित विज्ञप्ति में शैक्षिक अर्हता, आयु एवं भर्ती से सम्बन्धित समस्त शर्तें उल्लिखित की जायेंगी।

- (2) प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नाम, उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे। निर्धारित शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताओं के अनुसार पात्रता सूची निम्नलिखित तालिका अनुसार तैयार की जायेगी:-

क्र० सं०	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणांक
01	हाईस्कूल	अंको का प्रतिशत $\times 0.75$ 10
02	इण्टरमीडिएट	अंको का प्रतिशत $\times 1.5$ 10
03	स्नातक	अंको का प्रतिशत $\times 2.25$ 10
04	प्रशिक्षण-डी०एड० (विशेष शिक्षा) अथवा आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा	- - -
	क-सिद्धान्त	अंको का प्रतिशत $\times 3.0$ 10
	ख-प्रयोगात्मक	अंको का प्रतिशत $\times 1.50$ 10
05	अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा 1 से 5 हेतु)	अंको का प्रतिशत $\times 1$ 10

उक्त तालिका के अनुसार तैयार की गयी पात्रता सूची श्रेष्ठताक्रमानुसार अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु 'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)' के अन्य प्राविधान भी यथावत् लागू होंगे।

- चयन की प्रक्रिया- (1) जनपद स्तर पर विशेष शिक्षकों की पात्रता सूची तैयार किये जाने हेतु 'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)' में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित समिति के अनुसार ही निम्नवत् समिति होगी:-

(क)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र	सदस्य
(ग)	जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य सचिव
(घ)	समस्त उप शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ङ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जिले के किसी विभाग का अधिकारी	सदस्य

- (2) जनपद स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के अध्यापन हेतु विशेष शिक्षकों का चयन किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश, सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

- नियुक्ति की प्रक्रिया**
- (1) चयनित विशेष शिक्षक को प्रथमतः विकासखण्ड के अन्तर्गत यथा ऐसे विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से जहाँ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की संख्या अधिक है, प्रथमतः वहाँ तथा तदोपरान्त अवरोही क्रम में नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
 - (2) जनपद में ऐसे क्षेत्र विशेष को क्लस्टर/नोडल के रूप में चिन्हित किया जायेगा, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) अधिक संख्या में पंजीकृत हैं। क्लस्टर में सम्मिलित ऐसे विद्यालय जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की संख्या सर्वाधिक है, में सर्वप्रथम विशेष शिक्षकों की तैनाती की जायेगी।
 - (3) यदि क्षेत्र विशेष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा हेतु क्लस्टर चिन्हित नहीं हो पा रहा हो, तो भी ऐसे क्षेत्र में पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के अध्ययन हेतु विशेष शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासम्भव क्लस्टर आधारित तथा एकल विद्यालयों में भी विशेष शिक्षक की तैनाती इस प्रकार की जाय कि अधिकतम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को शिक्षा प्रदान की जा सके।
 - (4) यदि पूर्व में निर्गत सामान्य विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों में डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अर्हताधारी चयनित होते हैं, तो उनको भी ऐसे क्लस्टर/एकल विद्यालय में तैनाती दी जाये, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) अध्ययनरत् हों।
- वेतनमान**
- (1) सहायक अध्यापक, प्राथमिक (विशेष शिक्षक) को नियुक्ति उपरान्त वेतनमान रु0 35400-112400 (लेवल-6) के अन्तर्गत नियमानुसार वेतन अनुमन्य होगा।
- अन्य नियम**
- (1) उक्त प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के अध्यापन हेतु नियुक्त विशेष शिक्षक जनपद में तैनात अन्य शिक्षकों को भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के अध्यापन हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) इसके लिये उत्तरदायी होंगे।
 - (2) चयनित विशेष शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के शिक्षण गतिविधि के साथ-साथ विद्यालय की पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भी योगदान देंगे।
 - (3) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के अध्यापन के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)' में पृथक से नवीन नियम समाहित किया जायेगा।

Digitally signed by

RAVINATH RAMAN

Date: 28-05-2025

13:23:01

(रविनाथ रामन)

सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।

2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यकारी आदेश के प्राविधानों को विभागीय सेवा नियमावली में समाहित किये जाने हेतु नियमावली संशोधन का यथोचित प्रस्ताव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विशेष शिक्षकों के पदों पर चयन के उपरान्त इन शिक्षकों की तैनाती हेतु 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017' के सुसंगत प्राविधानों में छूट का प्रस्ताव भी यथानियम शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal

Date: 28-05-2022 (मम0एम0 सेमवाल)
14:23:19

अपर सचिव।